अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2018(RCMS: 2018/00082) अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति0जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–06–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर से दो बिन्दुओं पर सूचना चाही जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के विरूद्ध हर्जाना 25000/– रूपये दिलाया जावे एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे ।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

1. **एक सरकारी कर्मकार अपने कार्यालय में उपस्थिती दर्ज करने के उपरांत उसी दिवस अन्य कार्यालय में उपस्थिति दर्ज हेतु जिस अधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति व उस नियम, सरकूलर व आदेश का अवलोकन।**
2. **उस अधिकारी के पद की सूचना जिससें अन्य कार्यालय में उसी दिवस उपस्थिती दर्ज करवाने हेतु अनुमति प्रदान करनी होती है।**

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 6111 दिनांक 25.05.2018 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उनके पत्र संख्या एफ.1(23)(13)स्था./17/4820 दिनांक 30.04.2018 द्वारा निम्न प्रकार से सूचित किया गया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना का जवाब निम्न प्रकार प्रेषित है:–

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1. एक सरकारी कर्मकार अपने कार्यालय में उपस्थिती दर्ज करने के उपरांत उसी दिवस अन्य कार्यालय में उपस्थिति दर्ज हेतु जिस अधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति व उस नियम, सरकूलर व आदेश का अवलोकन।	आप द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बना सकते ह और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। अतः आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना देय नही है।
2. उस अधिकारी के पद की सूचना जिससें अन्य कार्यालय में उसी दिवस उपस्थिती दर्ज करवाने हेतु अनुमति प्रदान करनी होती है।	आप द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। अतः आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना देय नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक है इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 30.04.2018 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर